आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– ..... से .....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 24 / सन–2021–22

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क्र0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26.07.2024	–:आदेश: – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 24 / 2021–22 आवेदक श्री अर्जून महतो, पिता– स्व0 हरी महतो, साकिन– गादी, पो0– नावागढ़ चट्टी, थाना – धनवार, जिला– गिरिडीह के आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 05 के द्वारा अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : – 1. मौजा– पारोडीह, खाता सं0–14, प्लॉट सं0– 303 / 381, रकवा– 2.00 ए0 भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जमीन टांड दर्ज है। 2. उपर्युक्त भूमि धनवार के महाराजा महेश्वरी ना0 देव के द्वारा दिनांक– 05.11.1950 को आवेदक के पूर्वज के नाम से बंदोबस्त है। वादगत भूमि का ऑनलाइन पृष्ठ सं0– 65 / III पर हरि महतो वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है और हरि महतो वगै0 के नाम से लगातार लगान रसीद 2011 – 12 तक निर्गत होता आ रहा है। 3. निरीक्षण के क्रम मे पता चला कि इस वर्ष उक्त भूमि पर महादेव यादव, सकलदेव यादव, गोपाल यादव वो मुकेश यादव के द्वारा उक्त भूमि पर बाजबरन धान की खेती की गई है। इस बाबत द्वितीय पक्ष से मेरे द्वारा जमीन के हक संबंधी कागजात की माँग की गई। परन्तु अबतक उनके द्वारा किसी प्रकार का कागज प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. पूछ– ताछ के पर लोगों के बताया गया कि उक्त भूमि पर पूर्व में आवेदक दखलकार थे तथा बजरिये केवाला सं0– 989, दिनांक– 15.02.2008 के द्वारा सुदामा प्र0 यादव को उक्त भूमि में से कुछ जमीन बिक्री की गई है। 5. अतः नोटिस निर्गत कर द्वितीय पक्ष से राजस्व कागजात की माँग कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। उभय पक्षों ने अपने – अपने दावा के समर्थन में कागजात पेश किया है। कागजातों को अवलोकन किया। प्रस्तुत किए गए कागजात / उपलब्ध जाँच प्रतिवेदन तथा राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वाद में वर्णित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। जिसका जमाबंदी कायम करने का आधार अस्पष्ट है। जिससे वाद में वर्णित जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक, धनवार को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में वर्णित भूमि से संबधित संदेहास्पद जमाबंदी का एक स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ ताकि संदिग्ध जमाबंदी वाद के तहत् अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 26.07.24 अंचल अधिकारी, धनवार।	

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.07.29 14:10:20 +05:30
Location: 192.168.137.1